कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mpforest.org

क्रमांक / संरक्षण / 2476 भोपाल, दिनांक 16/5/2016

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
(क्षेत्रीय एव वन्य प्राणी)
मध्यप्रदेश।

विषयः–बीट निरीक्षण के कार्य तथा उसके अनुश्रवण हेतु निर्देश।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र कमांक / कक्ष–3 / 1669 दिनांक 07.07.1998, कमांक / संरक्षण / 3 / 1274 दिनांक 07.06.2004 एवं एफ–8 / 2008 / 10–10 / 459 दिनांक 24.01.2009

––00––

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश कमांक / 14 / 44 / 88 / 10 / 2 दिनांक 13–10–1995 के व्दारा विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों व्दारा मासिक बीट निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। तदनुसार इस कार्यालय / शासन व्दारा समय–समय पर इन निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। जिसके तारतम्य में संदर्भित पत्रों के माध्यम से बीट निरीक्षण के संबंध में निर्देशों का एकजाईकरण तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को बीट निरीक्षण का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मुख्यालय स्तर पर समीक्षा करने पर पाया गया कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के तहत बीट जांच नहीं की जा रही है, जिसके फलस्वरूप पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजनाओं में वनक्षेत्रों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, वनकक्षों में सीमा रेखा के रखरखाव की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, कुछ कक्षों में निर्धारित संख्या से अधिक मुनारे बनाये गये जबकि कुछ कक्षों में मुनारे बनाये ही नहीं गये हैं अथवा सीमा रेखा से मुनारे हटकर बनाये गये हैं। कुछ प्रकरणों में बीट निरीक्षण के प्रतिवेदनों में कोई वनहानि नहीं पाई गई अथवा इक्का–दुक्का ठूंठ की अवैध कटाई मात्र का ही उल्लेख होना पाया गया, जबकि उसी अवधि में वरिष्ठ स्तर से उड़नदस्ता भेजे जाने पर वृहद स्तर की अवैध कटाई मिली। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बीट निरीक्षण में वांछित प्रकिया का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बीट निरीक्षण के कार्यों का विभिन्न स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण भी नहीं किया जा रहा है। अतः बीट निरीक्षण से संबंधित मुख्यालय से पूर्व में जारी निर्देशों का पुनः अवलोकन करके तथा उनका परिमार्जन करके भविष्य में बीट निरीक्षण का कार्य निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्पन्न कराने तथा विभिन्न स्तर पर बीट निरीक्षण कार्यों की प्रभावी अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

16/5

मनोज कुमार अग्रवाल
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक (...)
मध्यप्रदेश, ...

1. बीट निरीक्षण मासिक लक्ष्यः–

प्रत्येक माह हेतु निम्नानुसार बीट निरीक्षण में मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता हैः–

क्रमांक	पद	प्रत्येक माह हेतु निर्धारित निरीक्षण	
		संपूर्ण बीट निरीक्षण	आंशिक बीट निरीक्षण
1	2	3	4
1	वन मण्डलाधिकारी	–	2 (उप वनमण्डलाधिकारी / परिक्षेत्राधिकारी / परिक्षेत्र सहायक के अतिरिक्त)
2	उप वन मण्डलाधिकारी	–	3 (परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्राधिकारी के अतिरिक्त)
3	परिक्षेत्र अधिकारी	2 (परिक्षेत्र सहायक के अतिरिक्त)	–
4	परिक्षेत्र सहायक	2	–

यह लक्ष्य वन संरक्षक व्दारा स्वीकृत रोस्टर के आधार पर कियान्वित किये जावेंगे।

1.1 आंशिक बीट निरीक्षण में कम से कम एक कक्ष का विस्तृत निरीक्षण किया जावे।

1.2 उपरोक्त निर्धारित बीट निरीक्षण रोस्टर के अनुसार परिक्षेत्र सहायक स्तर पर समस्त बीटों का निरीक्षण तो होता है, परन्तु परिक्षेत्र, उप वन मण्डल एवं वन मण्डल के अन्तर्गत आने वाली सभी बीटों का निरीक्षण होना कठिन होता है। अतः बीट निरीक्षण रोस्टर बनाते समय वन मण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वन मण्डलाधिकारी / उप वन मण्डलाधिकारी / परिक्षेत्र अधिकारी / परिक्षेत्र सहायक व्दारा जो बीट निरीक्षण किये जाते हैं, उन बीटों में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील बीटों का समावेश आवश्यक रूप से हो।

2. बीट निरीक्षण प्रतिवेदनः–

2.1 प्रत्येक बीट निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षणकर्ता अधिकारी एक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें बीट निरीक्षण में पाई गई वास्तविक स्थिति का लेख किया जावेगा। बीट निरीक्षण प्रपत्र 1 का प्रारूप नीचे दर्शित है। यह सभी प्रतिवेदन वन परिक्षेत्र कार्यालय एवं वन मण्डलाधिकारी कार्यालय में संधारित किये जावेंगे। इस प्रतिवेदन के अभाव में बीट निरीक्षण मान्य नहीं किया जावेगा। यदि निरीक्षण में कोई हानि न भी पाई गई हो तो भी यह प्रतिवेदन तैयार कर अभिलेख में रखा जाये।

बीट निरीक्षण प्रतिवेदन–प्रपत्र–1 माह .....

बीट का नाम एवं सम्मिलित कक्षों का क्र.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद	बीट निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण किये गये कक्षों का कमांक
1	2	3	4

मनोज कुमार अग्रवाल

मुख्य वन संर
मध्यप्रदेश,

कक्षवार अवैध उत्खनन/अतिक्रमण/अवैध कटाई का विवरण								
कक्ष क्र.	अतिक्रमित क्षेत्र (हे. में)		अवैध उत्खनन का क्षेत्र		अवैध कटाई			मौके पर निरीक्षण के दौरान पाई गई वनोपज का विवरण (घनमीटर/जलाऊ चट्टे की संख्या)
					प्रजाति	गोलाई वर्ग	ठूंठों की संख्या	
	नया	पुराना	नया	पुराना				
5	6	7	8	9	10	11	12	13

सीमा रेखा की स्थिति*	मुनारों की स्थिति**	वनरक्षक के कार्य के संबंध में टीप***	सामान्य टीप (विशेषकर वन अपराधों की दृष्टि से बीट की संवेदनशीलता की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें)****	निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
14	15	16	17	18

*सीमा रेखा का रखरखाव नियमित रूप से किया जा रहा है या नहीं।

**सीमा रेखा पर मुनारे हैं या नहीं, मुनारे ब्लॉक नक्शे के अनुसार निर्मित हैं या नहीं, मुनारों की स्थिति, जो मुनारे क्षतिग्रस्त हो गये हैं अथवा मरम्मत किये जाने हैं, उनके मुनारा क्रमांक।

***वनरक्षक द्वारा बीट का नियमित भ्रमण किया जा रहा है अथवा नहीं, अवैध कटाई के ठूंठों का संज्ञान लिया जा रहा है अथवा नहीं, चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध चराई, अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन पर नियंत्रण, कक्ष में कराये गये वानिकी कार्यों की गुणवत्ता, अग्नि सुरक्षा इत्यादि।

****वन अपराधों की दृष्टि से बीट की संवेदनशीलता।

2.2 परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी व्दारा बीट निरीक्षण करने के बाद बीट निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–1) अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी को माह समाप्त होने से एक सप्ताह के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2.3 निरीक्षण टीप का परीक्षण बीट निरीक्षणकर्ता अधिकारी के एक स्तर के ऊपर के अधिकारी व्दारा किया जावेगा तथा 10 दिवस के अंदर वन मण्डल कार्यालय को टीप भेजी जावेगी। परीक्षण पश्चात् यह टीप वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में कम से कम 3 वर्ष के लिये सुरक्षित रखी जाये।

2.4 वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वयं किये गये बीट निरीक्षण एवं उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किये गये बीट निरीक्षण पर अपने अभिमत समेत वृत्त के भारसाधक अधिकारी को भेजा जायेगा।

2.5 बीट निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यदि बीट निरीक्षण में पाई गई नुकसानी रू. 10,000/– से ऊपर है तो परिक्षेत्राधिकारी अविलंब स्थल पर जाकर वस्तुस्थिति ज्ञात करेंगे। यदि नुकसानी रू. 50,000/– तक है तो उपवनमण्डलाधिकारी

मनोज कुमार अग्रवाल
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

तत्काल स्थल पर पहुंच कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। रू. 50000/– से अधिक की नुकसानी पर वनमण्डलाधिकारी स्वयं मौका स्थल पर जाकर वस्तुस्थिति ज्ञात करेंगे।

2.6 बीट निरीक्षण प्रतिवेदन में यदि 25 से अधिक पेड़ अवैध काटे पाये जाते हैं तो परिक्षेत्राधिकारी स्थल का निरीक्षण करेंगे। अवैध कटाई के वृक्ष 50 से अधिक होने पर उप वनमण्डलाधिकारी स्वय स्थल की जांच करेंगे तथा 100 वृक्षों से अधिक की अवैध कटाई होने पर वनमण्लाधिकारी स्वयं स्थल की जांच करेंगे।

3 बीट निरीक्षण के समय नुकसानी की गणनाः–

3.1 किसी भी बीट निरीक्षण के समय प्रपत्र–2 में विवरण अंकित किया जाकर हानि की परिगणना की जाये। प्रपत्र–2 का प्रारूप नीचे दर्शित है। इस प्रपत्र की पुस्तिकायें छपवाकर परिसर रक्षक को उपलब्ध करा दी जायें, जिससे जब भी वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा निरीक्षण किया जाता है तो फार्म उपलब्ध रहे।

प्रपत्र–2 (वृक्षवार विवरण)

बीट नुकसानी में पाई गई हानि का गणना पत्रक

अ.क्र.	कैलेण्डर वर्ष में गणना का ठूंठ क्रमांक	अवैध कटाई की अनुमानित अवधि	प्रजाति	ठूंठ ऊंचाई (मी. में)	ठूंठ गोलाई (से.मी. में)	वृक्ष का गोलाई वर्ग
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र–2 (ब) हानि की गणना हेतु गोश्वारा

प्रजाति	वृक्षों का मूल्य (शासन आदेश क्र. /एफ–14/28/2002 /10–2 दि. 11.02.2004 के अनुसार)	फार्म फैक्टर के आधार पर वृक्ष से प्राप्त होने वाली लकड़ी का विवरण		मौके पर ठूंठ के पास जप्त इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी का विवरण			
		इमारती (घ.मी. में)	जलाऊ चट्टों की संख्या	इमारती (घ.मी. में)	मूल्य	जलाऊ चट्टों की संख्या	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

वनक्षेत्र से बाहर जप्त काष्ठ			
इमारती	मूल्य	जलाऊ चट्टे	मूल्य
9	10	11	12

मनोज कुमार अग्रवाल
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुमानित एवं जप्त काष्ठ में अंतर		वर्ष के लिये वन संरक्षक द्वारा निर्धारित वाणिज्य दर के मान से हानि गणना {2–(6+8+10+12)}
इमारती (घ.मी. में) {3–(5+9)}	जलाऊ चट्टों की संख्या {4–(7+11)}	
12	13	14

3.2 प्रत्येक कटे वृक्ष प्रजाति की हानि का मूल्यांकन पृथक–पृथक किया जाकर कुल हानि परिगणित की जाये (शासन आदेश कमांक एफ–14/28/2002/10–2 दि. 11–2–2004 के अनुसार)। {प्रपत्र–2 (ब) के अनुसार}

3.3 कटे वृक्षों के ठूंठों की गोलाई का नाप जमीन सतह से 30 से 40 से0मी0 ऊंचाई पर ही किया जाये (30 से.मी. के ऊपर जो भी नाप के लिये उपयुक्त (दोषमुक्त) जगह हो)।

3.4 अवैध कटाई एवं वन अपराध से संबंधित ठूंठों की ड्रेसिंग इस कार्यालय के पत्र कमांक 194 दिनांक 19.01.11 में दिये गये निर्देशों के तहत किया जावेगा।

3.5 ठूंठों के समतल सतह पर वर्ष की गणना का ठूंठ कमांक एवं यदि कोई लकड़ी मिली है एवं उसके टुकड़े बनाये गये हैं तो प्राप्त टुकड़ों की संख्या दर्शाई जाये अर्थात् 205/0 अथवा 205/4 अंकित किया जाये। ठूंठों पर अनुकमांक प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के लिये लगातार रखे जाना हैं। अतः पी0ओ0आर0 कमांक आदि अंकित करना आवश्यक नहीं है। यदि पी0ओ0आर0 कमांक अंकित करना ही है तो ठूंठों के बगल में जमीन सतह पर छाल छीलकर पी0ओ0आर0 कमांक अंकित किया जाये।

3.6 बीट शुमारी के समय ही हेमर निशान लगाया जाये। जहां बीट हेमर/व्यक्तिगत हेमर उपलब्ध नहीं है, वहां वन मण्डलाधिकारी तत्काल हैमर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

3.7 ठूंठों पर पाई गई उपयोगी काष्ठ का विदोहनः––लगुण कार्य कर, अपराध संज्ञान होने पर एक सप्ताह के अंदर परिसर मुख्यालय या ट्रक के पहुंच स्थल तक परिसर रक्षक व्दारा ढुलाई कराई जाये। इसके लिये स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जो भी न्यूनतम व्यय आता हो, उसे वनरक्षक को भुगतान करने की अनुमति दी जाये। परिसर मुख्यालय अथवा ट्रक के पहुंच स्थान तक संग्रहित काष्ठ का एक माह के अंदर आवश्यक रूप से मुख्य डिपो, जहां से नीलामी व्दारा निर्वर्तन किया जाना है, वहां पहुंचा दी जाये।

3.8 ठूंठों पर जप्त लकडी का निर्वर्तन यथाशीघ्र करने की व्यवस्था की जाये। ध्यान रखें कि परिसर रक्षक मुख्यालय अथवा ट्रक के पहुंच स्थान से निर्वर्तन के स्थान (मुख्य डिपो) तक परिवहन कराने का सीधा दायित्व वन परिक्षेत्र अधिकारी का ही होगा, अर्थात् यदि इस अवधि में वनोपज परिवहन नहीं होती है एवं उसे किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिये वन परिक्षेत्र अधिकारी को ही उत्तरदायी माना जायेगा। इसके लिये वे मासिक बैठक में अथवा प्रवास के समय जानकारी सतत् रूप से प्राप्त कर इस कार्य को संपादित करावें।

3.9 पी.ओ.आर. मटेरियल के परिवहन हेतु बजट की मांग अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), म.प्र., भोपाल के पत्र कमांक/बजट उत्पादन/177–2/4012 दिनांक 28.

मनोज कुमार अग्रवाल
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

09.11 एवं इस कार्यालय के पत्र कमांक/एफ–14/2015–16/10–10/11 दिनांक 01.01.16 में दिये गये निर्देशों के तहत की जावेगी।

4 बीट निरीक्षण में अवैध उत्खनन एवं अतिक्रमण का उल्लेखः–

बीट निरीक्षण के दौरान पाये गये अतिक्रमण के विरूद्ध वन अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें हटाने तथा अतिक्रामकों से वन भूमि को मूल स्वरूप में लाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके फलस्वरूप पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजनाओं में अतिक्रमित वनक्षेत्रों में लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही है। अतः बीट निरीक्षण के दौरान अवैध कटाई के ठूंठ शुमारी के अतिरिक्त बीट के कक्षों में अतिक्रमण अवैध उत्खनन एवं यदि ब्लॉक लाईन से लगा कक्ष हो तो संबंधित कक्ष में ब्लॉक लाइन के कच्चे–पक्के मुनारों का भी निरीक्षण आवश्यक है। निरीक्षणकर्ता व्दारा बीट के वन क्षेत्र के अतिक्रमण तथा अवैध उत्खनन एवं ब्लॉक लाइन के मुनारों का भी निरीक्षण किया जाये तथा इसका उल्लेख प्रपत्र–3 में किया जाये।

4.1 वनक्षेत्र में अतिक्रमण पाये जाने पर बीट प्रभारी से अतिक्रमण निवारण करने के लिये की गई कार्रवाई के बारे में पूछा जावेगा।

4.2 अतिक्रमण के संबंध में वन अपराध प्रकरण दर्ज है अथवा नहीं।

4.3 यदि वन अपराध प्रकरण दर्ज नहीं है तो इस कार्यालय के पत्र कमांक 4508 दिनांक 18.11.15 में दिये गये निर्देशानुसार वन अपराध प्रकरण दर्ज कर वन अपराधियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4.4 वन भूमि से अतिक्रमण बेदखली हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 80 अ के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी को भेजा जावेगा।

4.5 वनमण्डलाधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

4.6 वन अधिकार के प्रकरणों में अपात्र पाये गये अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के विरूद्ध इस कार्यालय के पत्र कमांक 735 दिनांक 20.02.15 में दिये गये निर्देशानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

4.7 उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा भारतीय वन्न अधिनियम, 1927 की धारा 82 के तहत वन भूमि को मूल स्वरूप में लाने में होने वाले व्यय की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

4.8 अवैध उत्खनन के प्रकरणों में उत्खनन की रोकथाम हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी ली जावेगी।

4.9 यदि अवैध उत्खननकर्ता ज्ञात है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

प्रपत्र–3

परिसर .....

परिक्षेत्र .....

वनमण्डल .....

अ. क्र.	कक्ष कमांक	कक्ष में पाया गया अतिक्रमण						
		अतिक्रमण का प्रकार		स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग		रकबा (हे. में)	अपराधी का नाम	की गई कार्यवाही
		नया	पुराना	अक्षांश	देशांश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मनोज कुमार अग्रवाल
भा
मुख्य वन संरक्षक (स
मध्यप्रदेश, भोपा

कक्ष में पाया गया अवैध उत्खनन								
उत्खनन का प्रकार		स्थल की जी.पी. एस. रीडिंग		रकबा (हे. में)	उत्खनित क्षेत्र की गहराई	उत्खनित खनिज का नाम एवं मात्रा	अपराधी का नाम	की गई कार्यवाही
नया	पुराना	अक्षांश	देशांश					
10	11	12	13	14	15	16	17	18

5 वनों में अवैध कटी लकड़ी का परिवहन एवं निर्वर्तन डिपो परिवहनः–

5.1 पी0ओ0आर0 की लकड़ी के परिवहन हेतु प्रत्येक वनरक्षक को एक कार्टिंग चालान बुक प्रदाय की जावे, जिस पर ऊपर ही विशेष मोटे अक्षरों में अंकित किया जावे "केवल जप्त वनोपज के परिवहन हेतु"।

5.2 ये कार्टिंग चालान की किताबें उत्पादन वनमण्डल से प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिये वन संरक्षक अपने वृत्त में कार्टिंग चालान की व्यवस्था करेंगे।

5.3 पी0ओ0आर0 की लकड़ी/बांस/अन्य वनोपज के परिवहन हेतु वन संरक्षकों व्दारा खुली दरों का निर्धारण किया जावे। यदि शासकीय ट्रक /ट्रेक्टर उपलब्ध है तो पहले उनके माध्यम से ही परिवहन कराया जावेगा ।

5.4 प्रत्येक वनोपज का परिवहन कार्टिंग चालान व्दारा ही किया जावेगा और पी0ओ0आर0 में वनोपज परिवहन के प्रमाणस्वरूप इस कार्टिंग चालान का नंबर दर्ज किया जावे।

5.5 निर्धारित स्थान, बीट/प0स0 मुख्यालय/परिक्षेत्र मुख्यालय/डिपो में कार्टिंग चालान के आधार पर आवक एवं जावक पंजी निर्धारित की जावे।

5.6 बीट गार्ड/प0स0/डिपो प्रभारी का स्थानान्तरण होने पर कार्टिंग चालान बुक/संधारित पंजी के आधार पर मिलान एवं सत्यापन कर प्रभार लिया जावे। किसी भी कमी हेतु संबंधित कर्मचारी से तत्काल वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जावे।

6. जप्त शुदा वनोपज का निर्वर्तन

6.1 जप्त शुदा लकड़ी का परिवहन यथासंभव व्यापारिक डिपो में ले जाकर नीलाम व्दारा निर्वर्तन किया जायेगा। विशिष्ट परिस्थितियों में यदि जप्त शुदा लकड़ी को डिपो में परिवहन करना सुदूर स्थल में स्थित होने के कारण, कठिन हो तो ऐसी परिस्थितियों में वन मण्डलाधिकारी की अनुमति उपरांत ही किसी उपयुक्त स्थान पर अस्थाई डिपो स्थापित करके लकड़ियों को परिवहन कराया जायेगा तथा इसका नीलाम वन मण्डलाधिकारी व्दारा किया जायेगा।

विभागीय काष्ठागारों में विभिन्न बीटों से प्राप्त वन अपराध प्रकरणों की जप्त शुदा लकड़ी को अन्य वनोपज के साथ नहीं मिलाया जाये ताकि पी0ओ0आर0 की लकड़ी से प्राप्त मूल्य करने का पता सीधे चल सकेगा। पी0ओ0आर0 से प्राप्त लकड़ी के घन मीटर को देखते हुये पी0ओ0आर0 की लकड़ी का अलग–अलग लाट बनाया जाये। अलग–अलग लाट पी0ओ0आर0 वार, परिक्षेत्र वार या लाटों को मिलाकर बनाया जाये। इसका निर्णय वन मण्डल अधिकारी उत्पादन व्दारा किया जाये।

मनोज कुमार अग्रवाल
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

6.2 डिपो में प्राप्त निर्वर्तित एवं बचत काष्ठ का विवरण प्रत्येक माह वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) व्दारा क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी को एवं वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) व्दारा वन संरक्षक को प्रत्येक माह प्रपत्र–4 में भेजा जावेगा।

प्रपत्र–4

वनोपज का विवरण	माह के प्रारम्भ में शेष (घ.मी./नो.टन)	माह में प्राप्त (घ.मी./नो. टन)	योग	माह में निर्वर्तित		माह के अंत में शेष (घ.मी. /नो.टन)
				मात्रा (घ.मी. /नो.टन)	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
इमारती						
बल्ली						
बांस						
जलाऊ						

7 बीट निरीक्षण कार्य की समीक्षाः–

बीट निरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा हेतु प्रक्रिया को लागू करने हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों के दायित्व निम्नानुसार रहेंगेः–

7.1 परिक्षेत्र अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि बीट रोस्टर अनुसार परिक्षेत्र सहायकों द्वारा बीट निरीक्षण कर मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बीट निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । बीट निरीक्षण के दौरान पाये गये वन अपराधों के संबंध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा बीट निरीक्षण/वन सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, की भी जानकारी उप वनमण्डलाधिकारी को प्रतिमाह प्रेषित करेंगे।

7.2 उप वनमण्डलाधिकारी प्रत्येक 3 माह में परिक्षेत्र सहायकों द्वारा किये जा रहे बीट निरीक्षण की समीक्षा करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वन अपराधों की जांच समयावधि में पूर्ण किया जाकर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अभिसंधानित किया जावे अथवा न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। वन भूमि पर अतिक्रमण, बेदखली की कार्यवाही एवं वनभूमि को मूल स्वरूप में लाने हेतु होने वाले व्यय की वसूली एवं वन अपराधों में निर्धारित मुआवजा, महसूल की वसूली का अनुश्रवण करेंगे तथा आवश्यकता होने पर उनको प्रदत्त अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे। ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा बीट निरीक्षण/वन सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, की भी जानकारी वनमण्डलाधिकारी को प्रेषित करेंगे।

7.3 वन मण्डलाधिकारी–उप वनमण्डलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी के बीट निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि बीट निरीक्षण निर्धारित प्रपत्रों में किया गया है। बीट निरीक्षण में पाये गये वन अपराधों पर कार्यवाही, वनोपज के निर्वर्तन में की गई कार्यवाही, बेदखली की कार्यवाही, वसूली की स्थिति, हानि की वसूली, अभिसंधान की स्थिति, न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की समीक्षा, वन भूमि को मूल स्वरूप में लाये जाने हेतु किये गये प्रयासों की समीक्षा करेंगे। साथ ही

मनोज कुमार अग्रवाल
भा
मुख्य वन संरक्षक (सं
मध्यप्रदेश, भोपा

अधिकारी/कर्मचारी, जिनके द्वारा बीट निरीक्षण/वन सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है, उनके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

7.4 मुख्य वन संरक्षक–वन मण्डलाधिकारी तथा उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई बीट निरीक्षण के प्रतिवेदनों का अनुश्रवण कर मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि बीट निरीक्षण निर्धारित प्रपत्रों के में की जा रही है। बीट निरीक्षण के दौरान पाये गये वन अपराधों के संबंध में उप वनमण्डलाधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की गई है या नहीं। उदाहरण–अतिक्रमण के प्रकरणों में बेदखली की कार्यवाही, अवैध कटाई के प्रकरणों में उत्तरदायित्व का निर्धारण एवं हानि की वसूली, मुआवजा महसूल, ऐसे कक्ष जहां मुनारा की स्थिति चिंताजनक है। मुनारा का निर्माण, ठूंठों की ड्रेसिंग, जप्त वनोपज का निर्वर्तन की स्थिति। प्रत्येक 6 माह अर्थात् 30 जून तथा 31 दिसम्बर की स्थिति में उप वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डलाधिकारी तथा स्वयं के द्वारा किये गये बीट निरीक्षण के संबंध में अपना प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

7.5 क्षेत्रीय अधिकारियों की दौरा–दैनंदिनी का परीक्षण करते समय नियंत्रणकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित अधिकारी द्वारा माह में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बीट निरीक्षण किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु बीट निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र–1 प्रस्तुत कर दिया गया है।

बीट निरीक्षण का कार्य तथा अनुश्रवण उपरोक्त जारी नवीन निर्देशों के तहत दिनांक 01.07.16 से कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म.प्र., भोपाल

पृ. क्रमांक/संरक्षण/ 2477 भोपाल, दिनांक 16/5/2016

प्रतिलिपिः–1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), म.प्र. को पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजनाओं के विविध नियमन में सम्मिलित करने हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रबंध संचालक, वन विकास निगम, म.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म.प्र., भोपाल